पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 उनवान शैलेन्द्रसिंह चौहान बनाम श्यामसिंह व अन्य पंचायत निगरानी संख्या : 375/2024

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 375/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/481

प्रार्थीगण :–		अप्रार्थीगण :–
शैलेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत, निवासी श्रीसेला, तहसील बाली, जिला–पाली राज.	बनाम	1. श्यामसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत, निवासी श्रीसेला, तहसील बाली जिला–पाली राज. 2. शक्तिसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत, निवासी श्रीसेला, तहसील बाली, जिला पाली राज. 3. ग्राम पंचायत धणी, पंचायत समिति, बाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत बखिलाफ ग्राम पंचायत धणी तहसील बाली जिला पाली के आदेश दिनांक 16.11.2021 मिसल संख्या 92/21–22 को निरस्त कराने बाबत् प्रस्तुत की गई।

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित ।

–:निर्णयः–

दिनांकः 06.09.2024

प्रार्थी शैलेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट ने एक निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम बनाराज़गी आदेश ग्राम पंचायत धणी तहसील बाली जिला पाली के आदेश दिनांक 16 नवंबर 2021 मिसल संख्या 92/2021–22 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक श्यामसिंह द्वारा ग्राम पंचायत धणी में दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें ज़ाहिर किया कि पुश्तैनी क़ब्ज़ा शुदा मकान भूंखंड प्रार्थी के पक्ष में निम्न पड़ोस का आया हुआ है मिसल दर्ज की गई उसमें दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को आदेशिका में दर्ज किया गया कि पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया है दर्ज़ रजिस्टर हो उसके बाद पत्रावली में तीन पंचों की कमेटी बनाने का उल्लेख किया उसके बाद की आदेशिका में भी ज़ाहिर किया कि प्रार्थी के नाम अस्थाई रूप से पट्टा जारी करना तय किया गया हैं व आपति पत्र जारी हो आपति पत्र का नोटिस दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को जारी करना बताया है परंतु नोटिस कहाँ पर चस्पा किया है किसने उसमें तस्दीक की है किसके सामने चस्पा किया है कहीं उल्लेख नहीं है व उस नोटिस में भूमि विक्रय करने के बारे में उल्लेख था जबकि विक्रय करने के संबंध में कोई तथ्य आदेशिका में दर्ज ही नहीं है ऐसी स्थिति में जो नोटिस जारी किया गया है उसके चस्पानगी की तारीख़ दर्ज़ नहीं है व उसमें विवादग्रस्त संपति के विक्रय का लिखा है परंतु विक्रय के संबंध में कही कोई उल्लेख नहीं है।

अप्रार्थी संख्या एक श्याम सिंह ने पुश्तैनी बताकर पट्टे का आवेदन किया है नोटिस पंचायत द्वारा भूमि विक्रय का जारी किया है व जो भूमि का पट्टा जारी किया है वो भूमि पिचके की भूमि है व पिचका की भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है-अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान में निर्धारित किया हुआ है कि पिचके की भूमि के संबंध में कोई निर्माण कोई कार्य किया गया है तो उसे पुनः पिचके की भूमि के रूप में दर्ज की जावे निर्माण हो तो हटाया जावे।

जो पट्टा जारी किया गया है उस भूमि में से कुछ हिस्सा पेहपसिंह पुत्र धोकल सिंह का है परंतु उनकी भूमि का भी पट्टा जारी कर दिया गया है जबकि पेहपसिंह के नाम का पट्टा दिनांक 21 अगस्त 1999 को जारी किया गया है वह उस भूमि का ही पट्टा पुनः अप्रार्थी संख्या एक श्यामसिंह के पक्ष में जारी किया गया है पट्टा पेहपसिंह के नाम जारी है उस भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 उनवान शैलेन्द्रसिंह चौहान बनाम श्यामसिंह व अन्य पंचायत निगरानी संख्या : 375/2024

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलकर वादग्रस्त संपति पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है व अन्य पट्टाधारी व अन्य को जानकारी दिए बग़ैर कार्य आरंभ किया है जो क़ानून की परिधि के विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या एक व दो ने क़ानून की विपरीत जाकर पट्टे की भूमि के विपरीत जाकर रास्ता सकड़ा करने पर व ऐसा निर्माण करने पर उतारू है जिससे आम जन को परेशानी हो वह जैसा निर्माण करने पर उतारू है जिससे आस पास व सामने के मकानों को हवा रौशनी प्राप्त न हो सके वै उनकी हवा रौशनी के अधिकारों का हनन हो सके अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि आदेश ग्राम पंचायत धणी पंचायत समिति बाली जिला पाली के आदेश दिनांक 16 नवम्बर 2021 मिसल संख्या 92/21-22 जारी किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे एवं जो पट्टा जारी किया गया है उसे भी निरस्त फरमावे अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा है निर्माण शीघ्र रुकवाया जावे जो निर्माण किया है उसे हटाया जावे । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए।

अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक श्याम सिंह द्वारा अपने पुश्तैनी क़ब्ज़ा भूमि का पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत धणी को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर मिसल क़ायम कर विधि द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन कर उसे पट्टा जारी किया है। प्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा पट्टे को अपने छोटे भाई अप्रार्थी क्रमांक 2 शक्ति सिंह को गिफ्ट किया गया उक्त पट्टा सब रजिस्ट्रार बाली से रजिस्टर्ड शुदा है । अप्रार्थी 2 द्वारा ग्राम पंचायत धणी से निर्माण स्वीकृति व ऋण लेने हैतू अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया । प्रार्थी के द्वारा उसे सरकारी कर्मचारी होने के कारण तंग परेशान करने की नियत से पंचायत समिति बाली मे दिनांक 31 मई 2024 को इसको शिकायत की गई जिस पर विकास अधिकारी बाली द्वारा उसी दिन स्थगन आदेश पारित किया गया व जाँच सहायक विकास अधिकारी को सुपुर्द की गई बाद जाँच प्रार्थी की शिकायत झूठी पाए जाने पर विकास अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 14 जून 2024 को स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया । प्रार्थी को उक्त तथ्यों की भलीभांति जानकारी रही है लेकिन उसने उक्त तथ्यों को निगरानी में छुपाया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है । पंचायत समिति बाली द्वारा की गई जाँच में अप्रार्थी क्रमांक 1 को जारी पट्टा गाँव सेला आबादी भूमि में पुश्तैनी कब्ज़ा का होना पाया गया और पिचका की भूमि में जारी करना नहीं पाया गया साथ ही कोई रास्ते पर अतिक्रमण अप्रार्थी का नहीं पाया गया । प्रार्थी व अप्रार्थी के मकानों के बीच रास्ता विद्यमान् होना पाया गया अतः स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है । ग्राम सेला में राजस्व खसरा नम्बर 510 पेचका व उसकी भूमि खसरा नंबर 511/622 में स्थित है जो सरकारी भूमि में दर्ज है जिस पर चार दीवारी बनी हुई है अप्रार्थी गण को जारी पट्टा उप पंजीयन अधिकारी बाली द्वारा रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का अधिकार पंचायत राज अधिनियम धारा 97 के तहत ज़रिए निगरानी निरस्त करने का अधिकार जिला कलेक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा किसी भी निगरानी अधिकारी को प्राप्त नहीं है रजिस्टर्ड पट्टा को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को ही प्राप्त है ऐसी स्थिति में जेर निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है ।

प्रार्थी ने जवाबबुल जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक श्यामसिंह को ग्राम पंचायत धणी द्वारा जो पट्टा पुश्तैनी बताकर जारी किया गया है उसमें से कुछ हिस्सा पड़ोस में स्थित पेहपसिंह पुत्र धोकल सिंह को जारी किए गए पट्टे का हिस्सा है जो उक्त श्यामसिंह द्वारा ज़रिए विक्रय विलेख ख़रीद किया गया है इसी पद क्रमांक में भीक सिंह पुत्र जवाहर सिंह के बाड़े की भौतिक अवस्था को जानबूझ कर नकारा गया है जबकि वास्तव में उक्त भीक सिंह का बाड़ा लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय तक उक्त विवादग्रस्त स्थल पर विध्यमान रहा है तथा कुछ समय पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 वे 2 ने मिलकर उक्त भीकसिंह की बाड़ा पर अवैध क़ब्ज़ा कर लिया है एवं उसको पेहप सिंह से खरीदशुदा भूखंड के साथ मिलाकर स्वयं का पुस्तैनी भूखंड बताने का प्रयास किया है । ग्राम पंचायत को भी जान जानबूझकर गुमराह कर इन तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है बाड़े कि भौतिक अवस्था की पुष्टि पेहपसिंह के पट्टे के उत्तर दिशा में स्पष्ट अंकित है इसके साथ ही गाँव के नागरिक गणों द्वारा भी इस बात की पुष्टि की जा रही है प्रार्थी के इन तथ्यों के समर्थन में मनोहर सिंह चौहान पुत्र मालम सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं जिससे विस्तृत रूप से इन तथ्यों की संपुष्टि होती हैं ।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

प्राथी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल किया गया । उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस प्रस्तुत की । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पेहप

P.T.O.

CamScanner

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 उनवान शैलेन्द्रसिंह चौहान बनाम श्यामसिंह व अन्य पंचायत निगरानी संख्या : 375/2024

सिंह के पट्टे के उत्तर में भीकसिंह का बाड़ा है। अप्रार्थी के जवाब अनुसार भीकसिंह का बाड़ा या क़ब्ज़ा नहीं है अप्रार्थी ने कहा पैतृक है जबकि वहाँ भीक सिंह का बाड़ा था । भीकसिंह का बिजली का बिल जुलाई 2024 का प्रस्तुत है । पंचायत में प्रस्ताव विज्ञप्ति नोटिस धारा 148 में विक्रय का रखा जबकि ब्रीडिंग नहीं हुई पंचायत की कार्रवाई संदेहास्पद है । पंचायत की कार्यवाही में कितने फ़िट का पट्टा दिया है ख़ाली है अपूर्ण कार्रवाई की गई है । जो दो बयान मनोहरसिंह एवं पूर्ण सिंह के लिए हैं जो अप्रार्थी के निकट रिश्तेदार ताऊ चाचा है । यदि पुश्तैनी क़ब्ज़ा था तो अकेले श्याम सिंह के नाम पट्टा क्यों बना दोनों भाइयों के नाम बनना चाहिए था । भू प्रबंध से पहले पिचके की जमीन थी अतः पिचके की भूमि में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता । निगरानी स्वीकार की जावे एवं जारी किया गया पट्टा ख़ारिज किया जावे अपने समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या 10570/2023 के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की ।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि याचिका पैरा चार किस क्षमता के निगरानी लाये प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है । पेरा नौ के अनुसार आमजन को परेशानी हो रही है जबकि सामने की ओर एवं पड़ोस में आबादी के मकान बने हुए है । विकास अधिकारी बाली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को आवंटित पट्टे के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी द्वारा स्थगन जारी किया गया है जिसकी जाँच करवाने के बाद दूसरे ही दिन विकास अधिकारी बाली द्वारा स्थगन हटा लिया गया। यह तथ्य निगरानी कर्ता ने अपनी निगरानी में छुपाया है अतः निगरानी कर्ता स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है । पेहप सिंह के पट्टे में भीक सिंह का वाडा लिखा है किंतु भीक सिंह का कोई शपथ पत्र नही हैं भीख सिंह का पट्टा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । मनोहर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है वो स्वयं प्रार्थी के पिता हैं किसी पट्टे में भीकसिंह का बाड़ा लिख देने से भीक सिंह का क़ब्ज़ा या भीक सिंह की भूमि नहीं हो जाती । प्रस्तुत किए गए बिजली के बिल से स्थाई निवास साबित नहीं होता है। प्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है वह पिचके की भूमि में जारी नहीं हुआ है पिचके की भूमि का खसरा नम्बर 511/622 है जिसकी बाउंड्री बनी हुई है। पेहप सिंह के पट्टे की भूमि इस पट्टे में आयी हुई है वह भूमि हमारे कब्ज़े में ही थी पेहप सिंह का पट्टा ग़लत बन गया था। हमारे क़ब्ज़े की भूमि का पट्टा पेहप सिंह के नाम बनने से विवाद हुआ एवं पुलिस में कार्यवाही हुई तत्पश्चात राजीनामा होने से पेहप सिंह ने हमें विक्रय पत्र के मार्फ़त हमारी क़ब्ज़ा शुदा भूमि वापस विक्रय कर दी थी। अप्रार्थी ने अपने पक्ष में 2022(2)RRT1159 निशा देवी स्टेट ऑफ़ राजस्थान पेश कि जिसके अनुसार अब भूमि कई अन्य मकानों व दुकानों द्वारा अधिभोग में है और यह प्रतीत होता है कि भूमि अब आबादी में आ चुकी है पट्टा शुद्ध भूमि से याचीगण को हटाना अथवा विस्थापित करना उचित नहीं है। 2021(1)DNJ(Raj)186 अनुसार रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का अधिकार नहीं है।

अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी श्याम सिंह पुत्र परबत सिंह राजपूत श्री सेला द्वारा मिसल 92 में जब पट्टा बनाने का आवेदन किया तो हमें नहीं बताया कि उसने उक्त भूखण्ड का कुछ हिस्सा दक्षिण दिशा में पेहपसिंह पुत्र धोकल सिंह राजपूत श्रीसेला के परिवार से पूर्व में ही ख़रीद किया हुआ है। श्याम सिंह के भूखंड के उत्तर दिशा वाला हिस्सा पट्टा बनाने से पूर्व कई वर्षों से भीख सिंह पुत्र जवाहर सिंह की क़ब्ज़े में था ये बात भी हमें श्याम सिंह ने नहीं बतायी कुछ दिन पूर्व जब विवाद हुआ तब हमने गांवों में पूछताछ की तब इसकी जानकारी हुई पट्टा आवेदक ने संपूर्ण भूखंड को अपना पुश्तैनी बताया था उस नींव बनी हुई एवं पानी का होद बना हुआ था।

हमने प्रस्तुत निगरानी याचिका एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज़ जवाब बुल जवाब एवं लिखित बहस का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया । अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस पर गंभीरता से विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि विवादित पट्टे में पूर्व में जारी पेहपसिंह के पट्टे की भूमि सम्मिलित की गई है। विवादित पट्टे में पिचके की भूमि के संबंध में विकास अधिकारी बाली द्वारा करवाई गई जाँच उल्लेखनीय है जिसमें स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि भूमि आबादी की है अतः पिचके की भूमि होना सिद्ध नहीं हुआ है भू प्रबंध से पहले संभव है कि यह भूमि पिचके की रही हो किन्तु वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पिचके की भूमि अलग है एवं उस पर चार दीवारी निर्मित है। जहाँ तक पुश्तैनी क़ब्ज़े की बात है इस संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने के पूर्व पूरी जाँच करनी चाहिए थी।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

जिला कलेक्टर, बाली अप्रार्थी:

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 उनवान शैलेन्द्रसिंह चौहान बनाम श्यामसिंह व अन्य पंचायत निगरानी संख्या : 375/2024

अतःप्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक को जारी किया गया पट्टा संख्या 20 निरस्त किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या तीन ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि पंचायत राज अधिनियम की नियमों की पालना में पूर्ण जाँच उपरांत यदि अप्रार्थी पात्र पाया जाता है तो नियमानुसार पट्टा जारी करे। पालना हेतु संबंधित को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाक 06 सितम्बर 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

6/9/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)